न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2021	14.06.2021	06.10.2021

अनवान

1. रतन लाल पिता कजोड जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पिता नाना लाल जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. विष्णु पिता नाना लाल जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. रामेश्वर पिता नाना लाल जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– रतनलाल पिता कजोड़ प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बनाकिया कलां पटवार हल्का बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 355 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3505, 3506 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी व खातेदारों की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती को जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:48:27 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली आज दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर स्थल राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बनाकिया कलां में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/वकील प्रार्थी हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व अप्रार्थीगण को वक्त पत्थरगढ़ी तहसीलदार साहब द्वारा दोनो

पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जा सकती है, अतः पत्रावली में बहस एकतरफा सुनाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थी/प्रार्थी वकील की बहस एकतरफा सुनी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा बनाकिया कलां पटवार हल्का बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 355 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3505, 3506 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।
पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बनाकिया कलां में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:48:27 IST
Reason: SelfAttested